उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 45 / वि.सहा. / (2) / 07 / 2721 भोपाल, दिनांक 13.11.2007

प्रति

प्रबंध संचालक,
एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन,
ए.व्ही.एन. टावर, एम.पी. नगर,
भोपाल।

विषयः—औद्योगिक इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

——0——

औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें शासन की विभिन्न सुविधाओं जैसे अनुदान सुविधा एवं कराधान सुविधा (राज्य लागत पूंजी अनुदान, वाणिज्यिक कर मुक्ति / आस्थगन एवं प्रवेश कर मुक्ति सुविधा) उपलब्ध कराई गई है, उन्हें अनुदान सुविधा हेतु उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक एवं कराधान सुविधा हेतु पात्रता अवधि की समाप्ति के पश्चात् 5 वर्ष तक उत्पादनरत् रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में शासन द्वारा देय अनुदान एवं कराधान सुविधा की ब्याज सहित वसूली देय हो जाती है।

राज्य शासन के अनुदान सुविधा एवं कराधान सुविधा के नियमानुसार इकाईयों के हस्तांतरण / स्वामी परिवर्तन किये जाने के पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्वानुमति आवश्यक है। इन सुविधा प्राप्त औद्योगिक इकाईयों के किन्हीं कारणवश बंद हो जाने पर उनका विक्रय किया जाता है अथवा उत्पादनरत् इकाई के स्वामी, भागीदार एवं संचालक द्वारा किसी अन्य औद्योगिक इकाई को विक्रय कर दिया जाता है। कतिपय प्रकरणों में यह विदित हुआ है कि बिना उद्योग आयुक्त की पूर्वानुमति के प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा इकाई का हस्तांतरण / स्वामी परिवर्तन कर दिया गया है। इसकी सूचना विकास केन्द्र से संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को भी नहीं दी गई है।

यह विदित ही है कि विकास केन्द्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों को पात्रता अनुसार अनुदान सुविधा / कराधान सुविधा का लाभ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है एवं उक्तानुसार उन्हें हस्तांतरण / स्वामी परिवर्तन की जानकारी नहीं होने से इन इकाईयों को दिये गये अनुदान / कराधान सुविधा की वसूली की प्रभावी कार्यवाही भी उनके द्वारा नहीं की जा पाती है।

......2

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से समस्त प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को निर्देश जारी करे कि नियमानुसार बिना उद्योग आयुक्त की पूर्वानुमति के हस्तांतरण/स्वामी परिवर्तन नहीं किया जावे साथ ही हस्तांतरण/स्वामी परिवर्तन किये जाने पर इसकी जानकारी आवश्यक रूप से उद्योग संचालनालय के साथ–साथ संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को भी दी जावे।

Dkhandek 12/11/07

(दीपक खांडेकर)
उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश.

पृ0क्र0 45/वि.सहा./(2)/07/ भोपाल, दिनांक .11.2007

प्रतिलिपि –

प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल/ग्वालियर,/इन्दौर/जबलपुर /रीवा की ओर पालनार्थ प्रेषित।

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश.